



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 बैशाख, 1944 (श०)

संख्या - 189 राँची, गुरुवार,

21 अप्रैल, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

11 अप्रैल, 2022

आदेश सं०-5/आरोप-1-39/2020 का.-2408--श्री सुरेन्द्र कुमार, (कोटि क्रमांक- 846/03) झा०प्र०से०, अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जामताड़ा के विरुद्ध झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची के पत्रांक- 316 दिनांक 04.06.2020 द्वारा आरोप प्रतिवेदित किया गया है कि मुख्य सचिव, झारखण्ड एवं झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची द्वारा बार-बार निदेशित किये जाने के बावजूद श्री कुमार द्वारा न तो Lockdown की अवधि से पूर्व मासिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया और न ही Covid-19 के संक्रमणकाल में आयोग द्वारा प्रेषित शिकायत पत्रों पर कार्रवाई की गई तथा श्री कुमार द्वारा प्रतिवेदन भेजने में लापरवाही एवं शिथिलता बरती गई ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-3216, दिनांक 10.07.2020 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री कुमार के पत्रांक-659/रा०, दिनांक 01.07.2021 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर पर विभागीय पत्रांक-3881, दिनांक 11.08.2021 द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची से मंतव्य की माँग की गयी। झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची के पत्रांक-834, दिनांक 10.12.2021 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

“प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा आयोग द्वारा की गई, जिसमें यह पाया गया कि यद्यपि अपर समाहर्ता-सह- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा परिवाद पत्रों पर विधिवत् सुनवाई कर आदेश पारित कर पारित आदेश की प्रति आयोग को उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथापि परिवाद पत्रों पर अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा जाँच कर कार्रवाई की गई है। साथ ही, उक्त अवधि Covid-19 के Lockdown के समय की है एवं इस अवधि में जिला के सभी पदाधिकारी अत्यधिक व्यस्त थे। अतः श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए भविष्य में सतर्क रहकर कार्य करने की चेतावनी देते हुए आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की जाती है।”

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी।

समीक्षोपरांत, राज्य खाद्य आयोग, राँची से प्राप्त मंतव्य से सहमत होते हुए श्री सुरेन्द्र कुमार, (कोटि क्रमांक-846/03) झा०प्र०से०, अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जामताड़ा के विरुद्ध संबंधित मामले को संचिकास्त किया संचिकास्त किया जाता है।

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव।
